



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.12.2025

- अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 14.11.2025 को वादी श्री धीरू सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा उसके पिता चन्द्रपाल सिंह व उसके छोटे भाई अमन पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मुआओ 478/2025 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/131/324(5)/351(3)/3(5)/117(2) बीएनएस बनाम 1. आकिब खान पुत्र साबिर खान 2. जावेद खान पुत्र साबिर खान 3. मैहरोज खान पुत्र साबिर खान 4. साबिर खान पुत्र स्व0 गौसी खान समस्त निवासीगण ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात 5. कुछ अज्ञात लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. साबिर उर्फ चुनू खान पुत्र स्व0 गौसी खान 2. आकिब खान पुत्र साबिर उर्फ चुनू खान उपरोक्त को आज दिनांक 26.12.2025 को समय करीब 10.00 बजे महेरा बम्बा रोड निकट ब्रह्म देव स्थान सड़क पर थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. साबिर उर्फ चुनू खान पुत्र स्व0 गौसी खान उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. आकिब खान पुत्र साबिर उर्फ चुनू खान उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस।